

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
उन्नाव वृत्त, लो०नि०वि०, उन्नाव

पत्रांक 234 सी/49 सी-उ०वृ०/16

दिनांक 6/4/16

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश सं० 200(1)/23-11-2015-1/2 (26)/2015 दिनांक 30.03.2016 द्वारा जनपद-उन्नाव में बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग (राज्यमार्ग-38) के चैनेज 37.170 से 39.900 तक का चौड़ीकरण कार्य (चौराहे पर 120 मी० लम्बाई छोड़ते हुए) के निर्माण हेतु लम्बाई 2.610 कि०मी० एवं लागत रू० 1191.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें मार्ग के अन्तर्गत कुल 2.610 मि०मी० लम्बाई में वन विभाग की संरक्षित (Protected) भूमि पड़ती है। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आन लाइन प्रस्ताव पंजीकरण करने हेतु श्री मदन प्रसाद चौरसिया, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड नं०-1, लो०नि०वि०, उन्नाव को अधिकृत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(कोमल प्रसाद)
अधीक्षण अभियन्ता
उन्नाव वृत्त, लो०नि०वि०,
उन्नाव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लो०नि०वि०, लखनऊ।
2. श्री मदन प्रसाद चौरसिया, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड नं०-1, लो०नि०वि०, उन्नाव।

अधीक्षण अभियन्ता
उन्नाव वृत्त, लो०नि०वि०,
उन्नाव